Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः mpr@doiuk.org

अल्पकालिक प्रस्ताव आमंत्रण

दिनांकः 23.05.2022 से 05.06.2022 तक रेसकोर्स प्ले ग्राउण्ड, निकट बन्नू स्कूल, देहरादून में नैशनल हैण्डलूम एक्सपो का आयोजन उत्तराखण्ड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद के द्वारा किया जा रहा है। एक्सपो में फूड कोर्ट के कार्य हेतु प्रतिष्ठित फर्मों/संस्थाओं से प्रस्ताव दिनांकः 21.05.2022 की सायंः 04:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं, जो दिनांकः 21.05.2022 की सायंः 04:30 बजे उक्त कार्यालय में खोले जायेंगे।

2. फूड कोर्ट :– व्यंजनकारों द्वारा चाट, पाव भाजी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, साउथ इण्डियन फूड, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न एवं पहाड़ी व्यंजन, राजस्थानी फूड, दूध, जलेबी, काठी रोल, चाउमीन, मोमो आदि व्यंजनों के स्टॉल हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हैं। प्रस्ताव के साथ रू0 20,000.00(रू0 बीस हजार मात्र) की जमानत धनराशि UHHDC(Fair & Exhibition) के पक्ष में देहरादून के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त कार्य हेतु आवेदन–पत्र एवं अन्य नियम व शर्तें उद्योग निदेशालय की वेबसाईट www.doiuk.org पर दिनांकः 21.05.2022 की सायंः 03:30 बजे तक उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव के साथ आवेदन–शुल्क/प्रस्ताव की राशि रू0 1,000.00(रू0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट **UHHDC(Fair & Exhibition)** के पक्ष में देहरादून के नाम आवेदन–प्रपत्र/प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना होगा।

परिषद को सभी प्रस्तावों/किसी भी एक प्रस्ताव को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यूएचएचडीसी।

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः mpr@doiuk.org

फूड कोर्ट के प्रस्ताव का आवेदन प्रपत्र

1. (अ) फर्म / संस्था / निगम / परिषद का नाम...

   (ब) पता...

   (स) दूरभाष संख्या...

   (द) फैक्स संख्या...

2. व्यापार कर रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं तिथि...

3. आयकर पैन नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर...

   ....

4. अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स प्रमाण–पत्र संख्या ....

   व दिनांक की स्वप्रमाणित प्रति।

5. फूड स्टॉल के प्रस्ताव के आवेदन–पत्र का मूल्य रू0 1,000 / –

   का बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक का विवरण...

6. जमानत राशि रू0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट संख्या व

   दिनांक का विवरण ....

7. विगत वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण(छायाप्रति संलग्न करें) (विभाग / संस्था / संगठन / निगम का नाम व पता, जहां सम्बन्धित कार्य किया गया है)। — सम्बन्धित कार्य की कुल राशि (रूपये में)

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

6. टिप्पणीः–निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) फूट कोर्ट आवेदन प्रपत्र की फीस रू0 1,000 / – का बैंक ड्राफ्ट(मूल में)।

(ii) जमानत राशि रू0 20,000.00 का बैंक ड्राफ्ट(मूल में)।

(iii) व्यापार कर रजिस्ट्रेशन की स्वःप्रमाणित प्रति।

(iv) गत तीन वर्षों की बैलेन्स–शीट एवं आयकर विवरणी।

(v) पैन कार्ड/आधार कार्ड की स्वःप्रमाणित प्रति।

(vi) उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत किसी भी विभाग/उपक्रम/निकाय द्वारा ब्लैक लिस्ट न किए जाने सम्बन्धी स्वप्रमाणित प्रमाण–पत्र।

(vii) अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त फूड लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति।

निर्धारित नियम एवं शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा फूड कोर्ट प्रस्ताव प्रपत्र से सम्बन्धित सभी शर्तें भली भांति पढ़/समझ ली गई हैं तथा मैं उन सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हूॅ।

दिनांकः

हस्ताक्षरः

हस्ताक्षरकर्त्ता का नाम व पता...

....

(फर्म की मुहर)

नोटः– फूड कोर्ट के संचालन हेतु प्रस्तावित धनराशि स्पष्ट रूप से अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत की जानी है, जिस पर प्रस्तावक के हस्ताक्षर, नाम व पूरा पता अंकित होना चाहिये, जिसको पृथक से एक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। इस कार्य की न्यूनतम धनराशि रू0 2,50,000.00(रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित की गयी है। आवेदन–कर्त्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम धनराशि का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकार्य होगा।

Uttarakhand Handloom & Handicraft Development Council
उत्तराखण्ड हथकरधा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद्
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
औद्योगिक आस्थान, पटेल नगर, देहरादून।
दूरभाषः– 0135–2728227, 2520604 फैक्सः–0135–278226 ई–मेलः mpr@doiuk.org

फूड कोर्ट के संचालन हेतु नियम एवं शर्तें

1. चयनित फर्म/व्यक्ति को आवश्यक लाईसेन्स/अनुमति–पत्र पुलिस, खाद्य, अग्निशमन, वाणिज्य कर, विद्युत विभाग आदि से स्वयं लेने होंगे।
2. फूड कोर्ट के सभी कार्मिक अनुभवी तथा स्वच्छ गणवेश में होने चाहिये।
3. भोजन की स्वच्छता तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना होगा, जिसकी सम्बन्धित विभाग द्वारा Random जॉच की जायेगी।
4. फूड कोर्ट(Food Court) के कार्य संचालन हेतु 15 Canopy Stall(3 x 3 sq.mtrs) उपलब्ध होंगे, जिसके अन्तर्गत 70 टेबल, 100 कुर्सी एवं 20 पंखे उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. फूड कोर्ट के अन्तर्गत व्यंजनकारों द्वारा चाट, पाव भाजी, भेल–पूरी, आइसक्रीम, गुड़िया के बाल, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, पॉप कॉर्न, स्वीट कॉर्न, पहाड़ी भोज, राजस्थानी फूड, पंजाबी फूड, साउथ इण्डियन, दूध, जलेबी, काठी रोल, चाउमीन, मोमो के व्यंजन हेतु स्टॉल स्थापित किये जायेंगे।

   नोटः– पॉप कॉर्न, गुड़िया के बाल, भेल–पुरी आदि व्यंजन विभाग द्वारा भी पृथक से संस्थाओं/फर्मों/व्यक्तियों को भी आवंटित किये जायेंगे।
6. फूड स्टॉल पर प्रयुक्त डिस्पोजेबल थाली–प्लेट–गिलास जूठन आदि Waste Material के लिये पर्याप्त कूड़ेदानों की व्यवस्था करनी होगी।
7. एक्सपो क्षेत्र में प्रतिबन्धित प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं किया जायेगा।
8. फूड स्टॉल का संचालन दिनांकः 23.05.2022 से 05.06.2022 अर्थात प्रदर्शनी प्रारम्भ होने से किया जायेगा तथा समयावधि प्रातः 11:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगी। इन तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
9. फूड स्टॉल में व्यवसायिक सिलेण्डरों का प्रयोग ही अनुमन्य होगा।
10. चयनित फर्म/व्यक्ति फूड स्टॉल को किराये पर नहीं दे सकेगा।
11. चयनित फर्म/व्यक्ति को फूड स्टॉल की सम्पूर्ण दिनांकः 24.05.2022 की सांयः 05:00 बजे तक जमा करनी होगी।
12. किसी भी प्रकार की टूट–फूट एवं विवाद के लिये विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. किसी कारणवश प्रदर्शनी की अवधि कम होने पर विभाग द्वारा पूर्ण/आंशिक धनराशि वापस नहीं की जायेगी।

14. उक्त नियमों का अनुपालन न किये जाने पर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार विभाग का होगा।
15. किसी भी प्रकार के वाद के लिये न्यायिक क्षेत्र देहरादून होगा।

मेरे द्वारा फूड कोर्ट के संचालन से सम्बन्धित सभी नियम एवं शर्तें भली–भांति पढ़/समझ ली गयी है तथा मैं उन सभी शर्तों से पूर्णतः सहमत हूँ।

दिनांकः

हस्ताक्षर
(फर्म की मुहर)